Provisional registration No:0919300005

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

District Registering Authority
BALLIA

CERTIFICATE OF PROVISIONAL REGISTRATION

This is to certify that *Shri Nath Baba Hospital And Resarch Centre (Shri Nath baba S* located at *Nagra Ballia* owned by *Santosh Kumar Singh* has been granted provisional registration as a clinical establishment under Section 15 of The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010. The Clinical Establishment is registered for providing medical services as a *Hospital,Nursing Home,MultiHome, Single Practitioner,Polyclinic, Pathology,Haematology,Biochemistry,Collection Centre, Xray Centre,ECG Centre* under *Allophathy* System of Medicine.

This Certificate is valid for a period of one year from the date of issue.

DRA: Ballia
Designation of the Issuing Authority

Place: Ballia
Date of Issue: 24/04/2023

*Terms and Conditions of Registration**

1. The holder of this Certificate of Registration shall comply with all the provisions of Clinical Establishment Act (Registration and Regulation) 2010 and the Rules made there under.
2. The Certificate of Registration is not transferable. The Certificate of Registration shall be displayed in a prominent place in a part of the premises open to the public.
3. Any change of ownership or change of category or change of management or on ceasing to function as a clinical establishment, the certificate of registration shall be surrendered to the authority and application for fresh registration submitted.

*Additional terms and conditions are as stipulated by the appropriate registering authority.

http://clinicalestablishments.gov.in/AuthenticatedPages/Users/Landing_certs.aspx Date:24/04/2023

प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 00127/2022-2023

दिनांक 07/05/2022

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/BAL/01705/2022-2023

पत्रावली संख्या:AZ-22841 दिनांक:2017-2018

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **श्रीनाथ बाबा शिक्षण सेवा संस्थान, ग्राम-उरैनी, पोस्ट-कोदई, नगरा, तहसील-रसड़ा, जिला-बलिया, उ0प्र0, बलिया , 221711** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 110/2017-18 दिनांक-02/05/2017 को दिनांक-02/05/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(SANTOSH KUMAR SINGH)
E04CA903373B698750E71464E71BC6EDA01D3910
Date: 07/05/2022 1:52:50 PM, Location: Azamgarh.

जारी करने का दिनांक-07/05/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश |

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29AA 676079

यह जनरल स्टाम्प पेपर श्री नाथ बाबा शिक्षण सेवा संस्थान
ग्राम-उरैनी पो-कोदई (नगरा)
जिला बलिया फाइल नं० A2-72841
के स्मृति-पत्र के साथ संलग्न है।

कार्यालय सहायक निबंधक समितियाँ उ० प्र०
आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़

सत्य-प्रतिलिपि
113
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़।
09-5-17

-: स्मृति-पत्र :-

१: संस्था का नाम : श्रीनाथ बाबा शिक्षण सेवा संस्थान

२: संस्था का पता : ग्राम-उरैनी, पोस्ट-कोदई (नगरा) तहसील-रसड़ा, जिला-बलिया, उ०प्र०।

३: संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

४: संस्था के उद्देश्य :

१- कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मानव जाति के विकास एवं उन्नति के लिए पूर्व-प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालक/ बालिका, विद्यालयो,महाविद्यालयो,आवासीय विद्यालयो,अनावासीय विद्यालयो,कान्वेण्ट पब्लिक विद्यालयो, बालश्रमिक विद्यालयो, आश्रम पद्धति विद्यालयो,संस्कृत विद्यालयो,बौद्ध विद्यालयो, अम्बेडकर विद्यालयो,उर्दू, अरबी, फारसी, हिन्दी, तेलगू, बंगाली, मराठी, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयो, विकलांग विद्यालयो, तथा प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालिका विद्यालयो, महाविद्यालयो,पौढ़ शिक्षा केन्द्रो, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रो, आंगनवाडी, बालवाड़ी, पुष्टाहार योजनाओं, सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रमों,किसान विद्यालयो, मेडिकल कालेज,फार्मेसी कालेजो, इंजीनियरिंग कालेज, आई०टी०आई०, चरवाहा विद्यालयो, गुरूकुल आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।

२- क्षेत्र के समग्र विकास के परिप्रेक्ष्य में खादी ग्रामोद्योग कमीशन/ बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रवृत्तियों व पैटर्न के अनुसार मुख्यतः खादी और ग्रामोद्योगी गतिविधियों को अपनाना व विकास की अन्य योजना बनाना तथा खादी ग्रामोद्योग व अन्य ग्रामीण उद्योग के विकास/ प्रसार हेतु प्रशिक्षण साहित्य प्रकाशन की व्यवस्था करना।

३- कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत देश व प्रदेश व क्षेत्र में जितना भी सम्भव हो सेवा करना , ऐसा कोई कार्य न हो जिससे राष्ट्,समाज का नुकसान हो, दीन दुखियो की सेवा,पर्यावरण पर जो, अन्तराष्ट्रीय आपदा में यथासम्भव सहयोग , राष्ट् के नागरिको में चारित्रिक,नैतिक बल प्रदान करना , समाज की कुरीतियो, समाज मे शिक्षा के बढ़ावा हेतु प्रयास करना तथा क्षेत्र के लोगो के जीवन स्तर को उठाने हेतु स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना, ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कृषि,पशुपालन,उद्योग तथा सेवाओ के विकास की योजनाए बनाना तथा कार्यक्रम चलाना।

४- मातृ शिशु कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा लोगो को परिवार नियोजन अपनाने की सही व उचित सलाह देना तथा जगह जगह निःशुल्क नसबंदी शिविरो,टीकाकरण शिविरों, पल्सपोलियों शिविरो,दवाखानो, चैरिटेबुल अस्पतालो,एड्स,अपंगता,कुष्ठ,अंधता,निवारण केन्द्रो जच्चा - बच्चा केन्द्र आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करना।

५- कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण, कम्प्यूटर हार्डवेयर, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, सिलाई, कढ़ाई, कटाई,बुनाई, तकनीकी,कुटीर,शिल्पकला,शिल्पकला,काष्ठकला,दरी बुनाई,टंकण, आशुलिपि, इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रानिक्स, पेंटिंग,जरी कढ़ाई,चिकन कढ़ाई,कालीन बुनाई,संगीत, नाट्य, बाद्य, कला, नृत्य, मोटरट्रेनिंग कालेजो,कृषि अनुसंधान केन्द्रो,ब्यूटी पार्लरो,फोटोग्राफी, पत्र-पत्रिकाओ का प्रकाशन, ए.सीरेफिजरेशन, फैशन-डिजाइनर, एक्सरे, टेक्नीशियन,लैब, पैथालोजिस्ट, मोबाइल रिपेयरिंग, मास कम्युनिकेशन,साफ्ट ट्वायज,नृत्य थियेटर,डाटा योजना कलेक्शन,माडलिंग,डालमेकिंग,फ्लावर मेकिंग,फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण,स्क्रीन प्रिटिंग, आपसेट प्रिटिंग,बाल पेंटिंग, कौशल विकास आदि प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन करने का प्रयास करना।

६- कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत अनाथआश्रम, अनाथालयो, पुस्तकालयो, वाचनालयो, क्रीडास्थलो, छात्रावासो, वृद्धाश्रमो, नारी निकेतनो, बाल संरक्षण गृहो, सामुदायिक उत्पादन केन्द्रो,संग्रहालयो, प्रयोगशालाओं आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

७- गरीब अनुसूचित जाति,अनुसूचित जन जाति, अनाथ,गरीब,हरिजन,विकलांग,मेधावी,निराश्रित, असहाय, मृतक आश्रित सेनानियों के बच्चो,वीरगति प्राप्त,विकलांग सैनिको के बच्चो, बाल श्रमिको को निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तके प्रदान करना तथा उनके लिए छात्रवृत्ति एवं छात्रावासो की व्यवस्था करना।

Santosh Kumar Singh
मालती देवी
रामप्रताप सिंह
Mahindra
Shashi Bala
Rakesh
S. Singh
कविता
R. S. Singh
Rajesh Singh
K. Singh
शान्ता कुमारी

सत्य-प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़।
09-5-17

८- गांवो में रहने वाली गरीब जनता के स्वास्थ्य विकास हेतु जगह जगह चौपालो,जन जागरूकता कार्यक्रमो,प्रदर्शनियों,आदि के द्वारा लोगो के घरो में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करना तथा जगह जगह निःशुल्क. शौचालयो,मूत्रालयो,पेयजल,सफाई,एवं निःशुल्क व्यवस्था व संचालन करने का प्रयास करना।

९- क्षेत्र के छात्र छात्राओं को हर विषय पर अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना।

१०- स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहें अनुसंधानो में विभिन्न प्रकार से सहयोग प्रदान करने का प्रयास करना तथा गर्भवती महिलाओ की निःशुल्क जांच व परीक्षण करना एवं समय समय पर टीकाकरण आदि कराने का प्रयास करना।

११- समयानुसार संस्था के विकास हेतु हाईस्कूल,इण्टर कालेज,डिग्री कालेज,तकनीकी शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन सम्बन्धित विभाग की अनुमति से करने का प्रयास करना।

१२- बाल श्रमिको का चिन्हीकरण करना तथा उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करना तथा बधुओ,मजदूरो को मुक्त कराकर उन्हें तथा बालश्रमिको को शिक्षित प्रशिक्षित कर स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना।

१३- विकलांगो को निःशुल्क कृत्रिम अंग,भोजन,आवास,शिक्षा,वस्त्रादि प्रदान करना तथा उनके लिए कृत्रिम अंगो का क्रय व वितरण करना विभागीय अनुमति से विकलांग विद्यालय आदि की स्थापना व संचालन करना।

१४- पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना तथा वन व वन्य प्राणियों की रक्षा की भावना लोगो के अन्दर पैदा करना तथा वृक्षारोपण करना। प्रदूषण नियंत्रण हेतु मवेशी खानो,पशु अस्पतालो,प्रदूषण जांच केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन करना।

१५- मुस्लिम समुदाय के विकास हेतु माइनारिटी के नियमानुसार अल्पसंख्यक विद्यालय,महाविद्यालय की स्थापना करके अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम छात्र-छात्राओ को शिक्षित करने का प्रयास करना तथा मजहबे इस्लाम की तबलीग करना।

१६- मुस्लिम माइनारिटी के नियमो का पालन करते हुये मदरसो,मकतबो,तहतानिया फौकानिया, आलिया, हाफिजं,कारी,मुन्शी,मौलवी,कामिल,आलिम,फाजिल,मुफ्ती,निश्वा मदरसो तथा उच्च स्तर तक की शिक्षा देने हेतु विद्यालयो कीस्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।

१७- बालक/बालिकाओ,कलाकारो के शारीरिक,बौद्धिक,मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना तथा उनके लिए समय समय पर खेलो, सेमिनारो, गोष्ठियो, प्रदर्शनियो आदि का आयोजन,संचालन करना तथा सफल बालक/ बालिकाओ, कलाकारो को पुरस्कृत करना।

१८- भारत सरकार,प्रदेश सरकार,जिला,तहसील,ब्लाक,तथा न्याय पंचायत स्तर पर जन विकास विशेषकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजनाओं एवं विकास के कार्यक्रमो को क्रियान्वित करना।

१९- वाटरशेड एसोसिएशन/जल प्रबन्धन एवं मैनेजमेण्ट योजनाओ को क्रियान्वित करना तथा ग्रामीणांचलो में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

२०- कृषि उत्पाद बढ़ाने का प्रयास करना तथा किसानो को नये तकनीकी यंत्रो, खादो, बीजो, कीटनाशक दवाओ,उसर भूमि सुधार,खादो के प्रयोग की विधि व मात्रा को बताना तथा उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

२१- दैवीय आपदा यथा बाढ़,सुखा,भूकम्प,महामारी,ओलावृष्टि,तूफान आदि के समय लोगो की यथा सम्भव मदद करना तथा पीड़ितो को निःशुल्क भोजन दवा इलाज,आवास वस्त्रादि प्रदान करने का प्रयास करना।

२२- गरीब,असहाय,निराश्रित,बालक बालिकाओ की सामूहिक व पृथक पृथक शादी विवाह कराना व उनके विवाह के समय यथाशक्ति भोज्य पदार्थ,टेन्ट,आदि सामान उपलब्ध कराने का प्रयास कराना तथा उन्हें जीविकोपार्जन हेतु धरेलू सामानो का वितरण करना।

सत्य-प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़।
09-5-17

२३- वैकल्पिक ऊर्जा के श्रोतो एवं साधनो का विकास करना, उन पर महत्वपूर्ण शोध करना, उनके उपयोग के बारे में लोगो को जागृत करना, देश में आने वाले ऊर्जा संकट से बचने के लिए अधिकाधिक संख्या में वैकल्पिक उर्जा के साधनो का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना तथा इसके प्रचार प्रसार हेतु अतिरिक्त उर्जा श्रोत मंत्रालय,भारत सरकार एवं वैकल्पिक उर्जा विकास संस्थान उत्तर प्रदेश से अनुदान/सहायता प्राप्त कर कार्यशालाओ एवं गोष्ठी का आयोजन करना।

२४- कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सम्बन्धित विभाग की अनुमति से सी०बी०एस०ई०विद्यालयो,आई०एस०सी०विद्यालयो व बी०एड०, बी०पी०एड०, बी०टी०सी० आदि की स्थापना कर बच्चो व बच्चियों को शिक्षित व प्रशिक्षित करने का प्रयास करना।

२५- समाज में व्याप्त कुरीतियो,यथा दहेज,बाल विवाह,नशा,शराब,गांजा,अफीम,भांग,तम्बाकू,आदि का सेवन करने वालो को बचाने हेतु जागरूकता शिविरो एवं नशा उन्मूलन अस्पताल केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन करना।

५-संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यो/ पदाधिकारियो के नाम,पिता/पति का नाम,पता तथा पद व व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौपा गया है :-

क्र०सं० नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
१-श्रीमती मोतिशरी देवी	स्व०विश्वनाथ सिंह	ग्राम उरैनी पो०कोदई (नगरा), बलिया।	अध्यक्ष	स०सेवा
२-श्री रामअनुज सिंह	श्री धीरेन्द्र सिंह	ग्राम जगदीशपुर पो०रसड़ा,जिला बलिया।	उपाध्यक्ष	स०सेवा
३-श्री सन्तोष कुमार सिंह	श्री विश्वनाथ सिंह	ग्राम उरैनी पो०कोदई(नगरा), बलिया।	प्रबन्धक/सचिव	स०सेवा
४-श्री महेन्द्र सिंह	स्व०बीरबहादुर सिंह	ग्राम उरैनी पो०कोदई(नगरा), बलिया।	उपप्रबन्धक/उपसचिव	स०सेवा
५-श्रीमती शशिबाला सिंह	श्री राजेश कुमार सिंह	ग्राम उरैनी पो०कोदई(नगरा), बलिया।	कोषाध्यक्ष	गृहिणी
६-श्री राकेश सिंह	स्व०विश्वनाथ सिंह	ग्राम उरैनी पो०कोदई(नगरा), बलिया।	सदस्य	कृषि
७-श्रीमती शिखा सिंह	श्री राकेश सिंह	ग्राम उरैनी पो०कोदई(नगरा), बलिया।	सदस्य	गृहिणी
८-श्रीमती बबिता सिंह	श्री संतोष कुमार सिंह	ग्राम उरैनी पो०कोदई(नगरा), बलिया।	सदस्य	गृहिणी
९-श्री रजनीशंकर सिंह	श्री रमाशंकर सिंह	ग्रा०पो०-रतसड़कला,जनपद-बलिया।	सदस्य	कृषि
१०-श्री राजेश कुमार सिंह	स्व०विश्वनाथ सिंह	ग्राम उरैनी पो०कोदई(नगरा), बलिया।	सदस्य	कृषि
११-श्री नरेन्द्र सिंह	श्री जगदीश सिंह	ग्राम व पोस्ट जिगनी,जिला बलिया।	सदस्य	कृषि
१२-श्रीमती राजकुमारी	श्री रजनीशंकर सिंह	ग्राम व पोस्ट रतसड़कला ,जिला बलिया।	सदस्य	कृषि
१३-प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक		विद्यालय	पदेन सदस्य	शिक्षक
१४-सहायक अध्यापक		"	"	"
१५-सहायक अध्यापक		"	"	"

६: हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण संस्था को उपरोक्त स्मृति-पत्र व संलग्न नियमावली के अनुसार सो०रजि०ऐ० १८६० की धारा २१ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कराना चाहते है।

दिनांक- 25-04-2017 Santosh Kumar Singh

सभी पदाधिकारियो/सदस्यो के हस्ताक्षर-

मोतिसरी देवी
राम अनुज सिंह
Mahindra
Sashibala Singh
Rakesh
S. Singh
बबिता
R. S. Singh
Rajesh Singh
N. Singh
राजकुमारी

कार्यालय सहायक निबंधक समितियां एवं चिट्स आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़

सत्य-प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़।
09-5-17

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 58AE 694689

यह स्टाम्प पेपर श्रीनाथ
बाबा शिक्षण सेवा संस्थान
भलिपा ... सं० Ag.22841
के रजि० नियमावली संलग्न है।

सत्य-प्रतिलिपि
29/3/2023
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

-: संशोधित नियमावली :-

१: संस्था का नाम : श्रीनाथ बाबा शिक्षण सेवा संस्थान

२: संस्था का पता : ग्राम-उरैनी, पोस्ट-कोदई (नगरा) तहसील-रसड़ा, जिला-बलिया, उ०प्र०।

३: संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

४: संस्था के उद्देश्य : स्मृति-पत्र के अनुसार

५: संस्था की सदस्यता तथा सदस्यो के वर्ग:-

आजीवन सदस्य- जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त में कम से कम २०००/-रू०या उससे अधिक मूल्य की चल/अचल सम्पत्ति निःस्वार्थ भाव से सदस्यता शुल्क के स्वरूप देगें तथा संस्थाहित में कार्य करेगें संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेगें।

विशिष्ट सदस्य जो व्यक्ति संस्था के प्रति हितैषी भाव रखने वाले होगें तथा संस्था को ५०० रूपया हर पांचवे साल सदस्यता शुल्क देते रहेगें संस्था के विशिष्ट सदस्य बने रहेगें।

सामान्य सदस्य- जो व्यक्ति संस्थाहित में सदैव कार्यरत रहेगें तथा संस्था को ५१/-रू० वार्षिक सदस्यता शुल्क देते रहेगें , संस्था के सामान्य सदस्य बने रहेगें ।

सदस्यता ग्रहण करने की अर्हता:- वह भारतीय नागरिक हो तथा उसकी उम्र १८ साल या उससे अधिक हों।

६-सदस्यता की समाप्ति-

१-मृत्यु होने पर।

२-पागल अथवा दिवालिया घोषित किये जाने पर।

३-संस्था विरोधी कार्य करने पर।

४-त्याग पत्र अथवा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।

५-लगातार तीन बैठको में बिना कोई उचित सूचना दिये अनुपस्थित होने पर।

६-किसी न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक आपराधिक केस में दोष सिद्ध किये जाने पर।

७-सदस्यता शुल्क समय से न अदा करने पर।

७-संस्था के अंग:-

१-साधारण सभा

२-प्रबन्धकारिणी समिति

८-साधारण सभा:-

गठन- नियमावली के नियम ५ के सभी सदस्य मिल कर साधारण सभा का गठन करेगें।

बैठक- साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी,आवश्यकता पडने पर विशेष बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि:- साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यो को निश्चित सूचना के आधार पर १३ दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना १ दिन पूर्व देना आवश्यक होगा।

कोरम- साधारण सभा का कोरम कुल सदस्यो का २/३ होगा, कोरम के अभाव में एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः उसी एजेण्डे पर विचारण हेतु बैठक बुलाने पर कोरम की आवश्यकता नही होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि:-साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होगा जिसकी तिथि,कार्यक्रम व समय प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

Rajesh Singh
Shashi Bala Singh
Rakesh Singh

सत्य-प्रतिलिपि
29/3/2023
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़।
SK. Singh

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्यः-

१-प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव कराना।

२-संस्था की चल/अचल सम्पत्ति की देखभाल एवं सुरक्षा करना।

३-संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट पास करना।

६-प्रबन्धकारिणी समितिः-

गठन- प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यो के आधार पर होगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/सचिव, एक उपप्रबन्धक/उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष पदाधिकारी एवं सात सदस्य व ३ पदेन सदस्य होगें और कुल की संख्या-१५ होगी। जो स्मृति-पत्र की धारा ५ के अनुसार होगा।

बैठके- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम दो बार अवश्य होगी।आवश्यकता पडने पर विशेष बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती हैं।

सूचनाअवधि- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यो/ पदाधिकारियो को कम से कम ६ दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना २ दिन पूर्व देना आवश्यक होगा।

कोरम- प्रबन्धकारिणी समिति का कोरम कुल सदस्यो / पदाधिकारियो का २/३ बहुमत के आधार पर माना जायेगा,कोरम के अभाव में एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः उसी एजेण्डे पर विचारण हेतु बैठक बुलाने पर कोरम की आवश्यकता नही होगी।

रिक्त स्थानो की पूर्ति-प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत रिक्त स्थान या आकस्मिक रिक्ति होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के बहुमत के आधार पर शेष काल के लिए साधारण सभा में से नियमानुसार की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्यः-

१-संस्थाहित में शाखा संस्थाओ के संचालन हेतु उपसमितियो उपकमेटियो का गठन एवं संचालन करना।

२-संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा उसे साधारण सभा से पास कराना।

३-कर्मचारियो की नियुक्ति/पदोन्नति/पदच्युति/वेतनवृद्धि /नियमितीकरण एवं अन्य कार्यवाही किसी सक्षम पदाधिकारी की लिखित संस्तुति पर करना।

४-संस्था के लिए सम्पत्ति जुटाना।

५-स्वयं के भंग होने अथवा कार्यकाल बढाये जाने पर नये चुनाव तक कार्य करना।

कार्यकालः- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से लेकर पांच साल तक होगा।

१०-प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियो का अधिकार व कर्तव्यः-

अध्यक्षः-
१- सभी बैठको की अध्यक्षता करना।
२- बैठको को बुलाना तथा उसका अनुमोदन करना।
३- बैठको में शान्ति व्यवस्था कायम करना।
४- बैठको की तिथि समय व स्थान का निर्धारण करना।
५- बैठको में प्रस्ताव रखना तथा दूसरो को प्रस्ताव रखने की अनुमति देना।

उपाध्यक्षः- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके पूर्व निर्देशानुसार समस्त कार्यो को करना।

सत्य-प्रतिलिपि
29/3/2023
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़।

SK. Singh

Rajesh
Chashubala Singh
...esh Singh

प्रबन्धक/सचिवः- १- साधारण सभा की बहुमत की मांग पर कार्यकारिणी भंग करना ,कार्यकाल बढाना तथा आवश्यकतानुसार पुनः चुनाव कराना ।

२- दोनो सभाओं में पारित प्रस्तावों एवं निर्णयों को अंतिम रूप देना तथा उन्हें क्रियान्वित करना।

३- वित्तीय एवं प्रशासनिक तथा क्षमादान का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखना।

४- बैठको में विघ्न पहुचाने वाले दोषी लोगो को बैठक से निष्कासित करना तथा उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही करना तथा त्याग पत्र स्वीकार करना।

५- किसी विवाद के निस्तारण मे समान मत हो जाने पर एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना।

६- संस्था के धन को संस्था विकास एवं चैरिटेबुल कार्यों में व्यय करना।

७- संस्था के समस्त मूल अभिलेखों/दस्तावेजो का अपने पास रख रखाव एवं सुरक्षा करना।

८- संस्था के पक्ष में मिलने वाले ऋण,अनुदान,दान,चन्दा,भूमि,भवन,वाहन, आदि को प्राप्त करना तथा उसकी यथा विधि रसीद देना।

९- बैठको की कार्यवाही करना तथा उनको रजिस्टर पर नोट करना या किसी से नेाट करवाना।

१०- संस्था की ओर से समस्त बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।

११- कर्मचारियों की नियुक्ति,पदोन्नति,पदच्युति,वेतनवृद्धि,नियमतीकरण एवं अन्य कार्यवाही करने के लिए प्रबन्ध समिति को लिखित संस्तुति देना।

१२- संस्था के कार्यकर्ताओं का निरीक्षण करना तथा दोषी पाये जाने पर उनको दण्डित करना , संतुष्ट होने पर दोषमुक्त करना तथा संस्था/संस्थाओं की किसी कर्मचारी के जांच की अवधि तक निलम्वित करना तथा जांच की रिपोर्ट कार्यकारिणी समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना।

१३- सदस्यों से सदस्यता शुल्क लेना और उसकी रसीद देना।

१४- सदस्यता फार्म पर हस्ताक्षर करना तथा सदस्य बनाना।

१५- सदस्यता ग्रहण करने योग्य पात्र व्यक्तियों को अपना अंतिम निर्णय देना।

१६- संस्था की चल / अचल सम्पत्ति की देखभाल एवं सुरक्षा करना।

१७- संस्थाओ के लिए वाहन आदि को क्रय करना एवं संस्थाहित में सभी प्रकार के कार्य करना।

१८- आपात स्थिति में बैठको को बुलाना।

१९- आय व्यय के बजट को पास कराने में मदद करना।

२०- बैठको की तिथि, समय व स्थान की सूचना सदस्यों को देना।

२१- संस्था को मजबूत बनाये रखने हेतु कार्य करना।

२२- संस्था की ओर से समस्त पत्राचार करना।

उपप्रबन्धक/उपसचिवः- प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति में उसके समस्त अधिकारो का प्रयोग उसके पूर्व निर्देशानुसार करना।

कोषाध्यक्षः- १- आय-व्यय का लेखा जोखा तैयार करना।

२- प्रबन्धक/सचिव की सहमति पर समस्त बिल बाउचरों का भुगतान करना।

३- प्रबन्धक/सचिव की सहमति से समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में जमा करना।

४- आय व्यय के लेखा जोखा की रिपोर्ट साधारण सभा में पेश कर पास करवाना।

५- संस्था की प्रगति का प्रचार प्रसार करना।

६- समस्त ज्ञापनों - विज्ञापनों का प्रकाशन व भुगतान कराना।

सत्य-प्रतिलिपि
29/3/2023
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

११-संस्था के नियमो एवं विनियमो में संशोधन प्रक्रिया:-संस्था के नियमो एवं विनियमो में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के सभी प्रकार के सदस्यो के २/३ बहुमत के आधार पर किया जायेगा।

१२-संस्था की सम्पत्ति का प्रबन्धन :- सो०रजि०ऐक्ट १८६० (यथा संशोधित) में निहित प्राविधानो के अनुसार यह समिति संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्था की चल - अचल सम्पत्ति (भूमि / भवन) को आवश्यकतानुसार सम्बन्धित बैंक को बंधक (गिरवी) रखकर बैंक से संस्थाहित में कार्य हेतु ऋण/लोन (सहायता) प्राप्त कर सकती है।

१३-संस्था का कोष:- संस्था कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा। जिसका संचालन प्रबन्धक/सचिव व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

१४-संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण/आडिट:-संस्था के वर्ष भर के आय व्यय का आडिट साधारण सभा की राय से किसी मान्यता प्राप्त आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

१५-संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:-
अदालत की कार्यवाही संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध दाखिल मुकदमो की पैरवी प्रबन्धक / सचिव द्वारा संस्था व्यय पर की जायेगी। जो प्रथम बार जनपद-बलिया के न्यायालय में ही देखे जा सकेगें।

१६-संस्था के अभिलेख:-
१- सदस्यता रजिस्टर
२- कार्यवाही रजिस्टर
३- स्टाक रजिस्टर
४- सूचना रजिस्टर
५- कैशबुक,आदि।

१७-संस्था के विघटन व विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सो० रजि० ऐक्ट की धारा १३ व १४ के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक :-

हस्ताक्षर-

SK Singh

सत्य-प्रतिलिपि
29/3/2023
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़।

Rajesh
ShashiBala Singh
Rakesh Singh

- : सत्यप्रतिलिपि :-

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

58AE 527824

यह अपरादा स्टाम्प पेपर श्रीनाथ बाबा
शिक्षण सेवा संस्थान
निबंधन/नियमावली संख्या सं० AZ 22841
के प्रबन्ध समिति को साथ संलग्न है। 2023-24

कार्यालय सहायक निबंधक समितियां आजमगढ़

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़।

श्रीनाथ बाबा शिक्षण सेवा संस्थान, ग्राम-उरैनी, पोस्ट-कोदई नगरा, तहसील-रसड़ा, जिला-बलिया, उ०प्र०
के प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष-२०२३-२०२४

क्र०सं० नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
१-श्रीमती मोतिशरी देवी	स्व०विश्वनाथ सिंह	ग्रा०-उरैनी, पो०-कोदई(नगरा) बलिया।	अध्यक्ष	स०सेवा
२-श्रीमती शशिबाला सिंह	श्री राजेश कुमार सिंह	ग्रा०-उरैनी पो०कोदई (नगरा) बलिया।	उपाध्यक्ष	गृहिणी
३-श्री सन्तोष कुमार सिंह	श्री विश्वनाथ सिंह	ग्रा०-उरैनी पो०कोदई (नगरा) बलिया।	प्रबन्धक/सचिव	स०सेवा
४-श्री महेन्द्र सिंह	स्व०बीरबहादुर सिंह	ग्रा०-उरैनी पो०कोदई (नगरा) बलिया।	उपप्रबन्धक/उपसचिव	स०सेवा
५-श्री राकेश सिंह	स्व०विश्वनाथ सिंह	ग्रा०-उरैनी पो०कोदई (नगरा) बलिया।	कोषाध्यक्ष	कृषि
६-श्री संजीव सिंह	श्री रजनीशंकर सिंह	ग्रा०पो०-रतसड़कला, बलिया।	सदस्य	स०सेवा
७-श्रीमती शिखा सिंह	श्री राकेश सिंह	ग्रा०-उरैनी पो०कोदई (नगरा) बलिया।	सदस्य	गृहिणी
८-श्रीमती बबिता सिंह	श्री संतोष कुमार सिंह	ग्रा०-उरैनी पो०कोदई (नगरा) बलिया।	सदस्य	कृषि
९-श्री रजनीशंकर सिंह	श्री रमाशंकर सिंह	ग्रा० व पो०-रतसड़कला, बलिया।	सदस्य	कृषि
१०-श्री राजेश कुमार सिंह	स्व०विश्वनाथ सिंह	ग्रा०उरैनी पो०कोदई (नगरा) बलिया।	सदस्य	कृषि
११-श्री नरेन्द्र सिंह	श्री जगदीश सिंह	ग्रा० व पो०-जिगनी, जिला बलिया।	सदस्य	कृषि
१२-श्रीमती राजकुमारी	श्री रजनीशंकर सिंह	ग्रा० व पो०-रतसड़कला, जिला बलिया।	सदस्य	कृषि
१३-प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक		विद्यालय	पदेन सदस्य	शिक्षक
१४-सहायक अध्यापक		"	"	"
१५-सहायक अध्यापक		"	"	"

हस्ताक्षर-
SK Singh

Rajesh
Shashi Bala Singh
Rakesh Singh

सत्य-प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़।

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

SIGNATURE
AGC Name: Vijay Bahadur
ACC Code No - UP14424204
ACC Address-Japlinganj, Ballia
License No - 718/2020
Collectorate Compound, Ballia (U.P.)

Certificate No.	:	IN-UP49783232084005U
Certificate Issued Date	:	14-Nov-2022 06:23 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14424204/ BALLIA SADAR/ UP-BL
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14424204824403877567971U
Purchased by	:	SHRI NATH BABA SHIKSHAN SEVA SANSTHAN
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SHRI NATH BABA SHIKSHAN SEVA SANSTHAN
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	SHRI NATH BABA SHIKSHAN SEVA SANSTHAN
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY GOVT. OF INDIA

UNDERTAKING FOR PARENT HOSPITAL

This is certify that **Shri Nath Baba Hospital and Research Centre, Nagra, Dist- Ballia, UTTAR PRADESH 221711** is a **150** bedded hospital which is running under **SHRI NATH BABA SHIKSHAN SEVA SANSTHAN (SOCIETY), Dist- Ballia, UTTAR PRADESH 221711. SHRI NATH BABA SHIKSHAN SEVA SANSTHAN (SOCIETY)** here by agree that **Shri Nath Baba Hospital and Research Centre** will the **Parent hospital** of the nursing college named , **Shri Nath Baba Nursing and Paramedical College address- village- Uraini, post- Nagra teh- Rasra district- Ballia , UTTAR PRADESH 221711** which is also under the same society and we, the society have no objection for giving clinical practice for the nursing students in **Shri Nath Baba Hospital and Research Centre** and assuring that, this hospital will not be a parent hospital or will not be affiliated for any other nursing Institution.

NOTARY GOVT. OF INDIA

Tantamounting to say that the **Shri Nath Baba Hospital and Research Centre** is affiliated exclusively to , **Shri Nath Baba Nursing and Paramedical College**, not to any other college and the governing body of **Shri Nath Baba Hospital And Research Centre** that is Mr Santosh kumar singh, the Chairman of the institution's trust.

Signature of chairman

MR. SANTOSH KUMAR SINGH

Signature of other Society members

1- Smt Motisari Devi ____________

2- Shri Ram Anuj Singh ____________

3- Shri Mahender Singh ____________

4- Smt Sashi Bala Singh ____________

5- Shri Rakesh Singh ____________

6- Smt Shikha Singh ____________

7- Smt Babita Singh ____________

8- Shri Rajni Shankar Singh ____________

9- Shri Rajesh Kumar Singh ____________

10- Shri Narendra Singh ____________

11- Smt Raj Kumari ____________

NOTARY GOVT. OF INDIA